न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 51/2025 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. गंगाधर पुत्र गेन्दा
2. चौथी पत्नि गेन्दा
3. रामभजन पुत्र गेन्दा
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र गेन्दा
5. हीरालाल पुत्र गेन्दा

समस्त जाति माली निवासी ग्राम रजवास तहसील लवाण जिला दौसा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रविकान्त सिंह, उप जिला कलक्टर लवाण जिला दौसा
2. अनिकेत पुत्र कालू
3. रामअवतार पुत्र किशना
4. भौंरी पत्नि किशना
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम बासडा तहसील वस्सी जिला जयपुर
   हालवासी ग्राम रजवास तहसील लवाण जिला दौसा
5. प्रेम पुत्री किशना पत्नि जगदीश जाति मीना निवासी ग्राम दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर
6. बाबूलाल पुत्र गोरधन ।
7. जगदीश पुत्र गोरधन
8. नानगी बेवा गोरधन
   समस्त जाति मीना निवासी जयराम का बास, तहसील बस्सी हाल निवासी रजवास शेरसिंह तहसील लवाण जिला दौसा
9. नाथी पत्नि कालू
10. मनोज पुत्र कालू
11. रामचन्द्र पुत्र जगदीश
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम बासडा तहसील बस्सी जिला जयपुर
   हालवासी ग्राम रजवास तहसील लवाण जिला दौसा
12. बैक आफ इण्डिया शाखा तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर जरिये मैनेजर

.....अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर लवाण बाबत मुकदमा अनुवानी अनिकेत बनाम गंगाधर मुकदमा नंबर 1/2022 जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.6.2025 नियत है ।

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3.श्री उमेश गौड, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2,3,6,7, 9 से 11

दिनांक: 18.8.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:10:03 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर में विचाराधीन वाद उनवानी अनिकेत बनाम [गंगाधर वगैरा] मुकदमा नं0 01/2022 को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित [करने] हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।

Dw

जिला कलेक्टर,दौसा

2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर लवाण से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी अप्रार्थी नंबर 2 लगा0 11 ने निहायती झूठे तथ्यो के आधार पर एक प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधि विरूद्ध तरीके से लिखकर और उप जिला कलेक्टर लवाण के समक्ष पेश किया जिसमें प्रार्थीगण को अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। उक्त प्रकरण में पीठासीनअधिकारी ने दिनांक 29.07.2024 को आर्डर सीट पर यह आदेश किया कि तहसीलदार लवाण दिनांक 2.08.2024 को मौके पर जाकर और उभयपक्षो की उपस्थिति में वास्तविक मौके की रिपोर्ट बनाकर पेश करे और पक्षकारो को भी दिनांक 2.08.2024 को मौके पर उपस्थित रहने के लिये निर्देशित किया तथा प्रार्थीगण दिनांक 2.08.2024 को मौके पर बैठे रहे किन्तु प्रार्थीगण के सामने मौका रिपोर्ट नही बनानी पडे इसलिये तहसीलदारजी लवाण में मिलीभगत से मौका रिपोर्ट बनाने के लिये दिनांक 2.08. 2024 को कोई मौका नही देखा और ना ही मौके पर आये और उक्त प्रकरण मे काफी समय तक कोई रिपोर्ट ही नही बनायी तथा प्रार्थीगण के द्वारा पीठासीन अधिकारीजी को निवेदन करनें पर कि आपके द्वारा तय समय पर मौके पर तहसीलदारजी नही पहुचे ना ही कोई सूचना दी तो पीठासीन अधिकारी जी ने कहा कि आपको सूचना देकर रिपोर्ट बनायी जावेगी किन्तु उसके बावजूद भी काफी दिनो तक तहसीलदार के द्वारा कोई सूचना प्रार्थीगण को नही दी गयी ना ही कोई रिपोर्ट बनायी गयी। तहसीलदारजी लवाण के द्वारा उपखण्ड अधिकारी लवाण के द्वारा जारी निर्देशो की अवहेलना करके और मौके पर गये बिना व बिना प्रार्थीगण को कोई सूचना दिये बिना मिलीभगत से अप्रार्थीगण नंबर 2 लगायत 11 को अनुचित फायदा पहुचाने के उदेश्य से मिलीभगत करके और मनमर्जी से गलत रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी तथा प्रार्थीगण की भूमि मे फार्म पोण्ड होने के बावजूद अधूरा बना हुआ बता दिया व फलदार बगीचा लगा हुआ होने के बावजूद व बोरंग बना हुआ होने के बावजूद तथा अप्रार्थीगण का जो अन्य रास्ता है वहाँ होकर उनका आवागमन चालू होने के बावजूद भी गलत रिपोर्ट पेश कर दी। अप्रार्थीगण नंबर 2 लगायत 11 येनकेन प्रकारेण उक्त प्रकरण में मिलीभगत से अपने पक्ष मे निर्णय करवाने पर आमदा रहते है तथा अप्रार्थीगण के परिवार का एक व्यक्ति राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे सर्विस करता है और उक्त व्यक्ति आये दिन उप जिला कलेक्टर लवाण में आकर और अधिकारी व कर्मचारियो पर दबाव बनाता है कि उक्त मुकदमे मे हमारे द्वारा जिस जगह होकर रास्ता चाहा गया है उस जगह होकर रास्ता दिलावो उक्त व्यक्ति कभी स्वंय आता है या कभी फोन करके या करवाकर अप्रार्थी मे से किसी को उप जिला कलेक्टर के समक्ष भिजवाता है जिससे उप जिला कलेक्टर लवाण उनके दबाव में आकर उक्त मुकदमे मे कानूनी विरोधी निर्णय करने पर आमादा हो रहे है। अप्रार्थीगण ने अनेको बार प्रार्थीगण को धमकी दी है कि हमने जहाँ होकर रास्ता मांगा है वहाँ होकर रास्ता लेकर रहेग तुम कितना ही कुछ भी कर लो तथा तहसीलदार लवाण के द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी लवाण को रिपोर्ट तैयार करने की स्पष्ट तारीख तय होने के बावजूद भी उस दिनांक को रिपोर्ट नही बनाना तथा अन्य दिनांक को रिपोर्ट तैयार करने बाबत प्रार्थीगण को कोई सूचना दिये बिना व मौके पर गये बिना मनमर्जी से रिपोर्ट बनाना यह स्पष्ट तय करता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त रिपोर्ट भी मिलीभगत करके तैयार करवायी गयी है। उप जिला कलेक्टर लवाण भी उक्त मुकदमे में विशेष रूचि दिखाकर 7–7 दि[illegible]कि अन्य सभी मुकदमो मे किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की जाती है [illegible] प्रकरण में विशेष रूचि लेकर मात्र 7–7 दिन की तारीख पेशी दी जा [illegible] आये दिन पीठासीन अधिकारी के चैम्बर बैठा रहता है तथा प्रार्थीगण [illegible] पीठासीन अधिकारी तो मेरे रिश्तेदार है तुम कुछ भी कर लो मै चाहूंगा जो फैसला करवाक[illegible] रहूंगा तथा उक्त प्रकरण में तारीख पेशी पर प्रार्थी हीरालाल ही जाता है तथा जो 70 वर्ष का बुर्जुग है जो यदि कभी पीठासीन अधिकारी जी से उक्त प्रकरण के संबंध में कोई निवेदन भी करता है तो पीठासीन अधिकारी जी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:10:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

व्यवहार इस कदर रहता है कि प्रार्थी सीनीयर सिटीजन व्यक्ति को गार्ड से धक्का लगवाकर बाहर निकलवा देते है तथा अभद्रता से पेश आते है। उप जिला कलेक्टर लवाण उक्त प्रकरण मे विशेष रूचि ले रहे है जो इस बात से भी सिद्ध है कि उक्त प्रकरण दिनांक 11.06. 2025 को तहसीलदारजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की आपत्ति बहस पर नियत था तथा प्रार्थीगण ने दिनांक 11.06.2025 को उक्त प्रकरण मे तहसीलदारजी द्वारा कानून के विपरीत तथा पीठासीन अधिकारी के निर्देशो के विपरीत तरीके से गलत रिपोर्ट बनाकर पेश की उक्त रिपोर्ट पर लिखित मे आपत्ति प्रस्तुत की तथा पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपत्ति की सुनवायी करे तो पीठासीन अधिकारीजी ने पहले तो आपत्ति को लेने से ही इंकार कर दिया तथा कहा कि मै तो बहस सुनूंगा प्रकरण आज अंतिम बहस मे लगा हुआ है कोईआपत्ति नही लूंगा किन्तु जब पीठासीन अधिकारीजी को आर्डर सीट दिखायी कि प्रकरण रिपोर्ट पर आपत्ति के लिये ही नियत है तो पीठासीन अधिकारीजी नाराज हो गये और आपत्ति प्रार्थना पत्र ले लिया और आर्डर सीट मे यह अंकन कर दिया कि आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया तथा पत्रावली में आपत्ति प्रार्थना पत्र व अंतिम बहस एक साथ सुनी जावेगी तो प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि रिपोर्ट पर ही आपत्ति है तो पहले उसका निस्तारण करे तो पीठासीन अधिकारीजी ने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक बात नही सुनी तो प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया पहले आपत्ति का प्रार्थना पत्र निस्तारण करे तो पीठासीन अधिकारीजी ने उक्त प्रार्थना पत्र को ले तो लिया किन्तु आर्डर सीट पर उसका कोई हवाला ही नही दिया तथा स्पष्ट कहा कि उक्त प्रकरण में दिनांक 18.06.2025 नियत कर दी है तथा उक्त दिनांक को मै उक्त प्रकरण का निस्तारण करूगां जो स्पष्ट सिद्ध करता है कि अप्रार्थीगण नंबर 2 लगायत 11 उप जिला कलेक्टर लवाण से मिले हुए है और उप जिला कलेक्टर लवाण विशेष रूचि लेकर इस प्रकरण का अप्रार्थीगण के पक्ष मे फ़ैसला करने पर आमादा है जिसके कारण प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारीजी से न्याय की कतई उम्मीद नही रही है और जहाँ न्याय की उम्मीद नही हो वहाँ प्रकरण की सुनवायी किया जाना कतई न्यायोचित नही है। न्याय का यह सार्वभौम सिदान्त है कि न्याय हो रहा है ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए और जहाँ न्याय होता प्रतीत नही होता हो वहॉ प्रकरण की सुनवायी किया जाना कतई न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय होता प्रतीत नही हो रहा है इसलिये इस प्रकरण की विधिवत सुनवायी हेतु इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर लवाण के समक्ष विचाराधीन मुकदमा अनुवानी अनिकेत बनाम गंगाधर मुकदमा नंबर 1/2022 जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.06.2025 नियत है कों किसी सक्षम न्यायालय मे विधिवत सुनवायी करने हेतु स्थानान्तरण करने की कृपा करे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उप जिला कलक्टर लवाण के द्वारा विचाराधीन प्रकरण में विधिवत सुनवाई कर कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2,3,6,7, 9 से 11 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने यह स्थानान्तरण प्रा0पत्र विचाराधीन प्रकरण में विलंब करने की गरज से पेश किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा पूर्व में भी दो बार स्थानान्तरण प्रा0पत्र पेश किये गये थे, जो खारिज किये जा चुके है। उप जिला कलक्टर लवाण के द्वारा विचाराधीन प्रकरण में विधि के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। उप जिला कलक्टर लवाण के द्वारा प्रार्थीगण की आपत्ति पर ही तहसीलदार लवाण से रिपोर्ट चाही गई है। प्रकरण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उप जिला कलक्टर लवाण से रिपोर्ट चाही गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप केवल दुर्भावना व [illegible]जना के आधार पर लगाये गये है जो काल्पनिक एवं मनगढंत है। विचाराधीन प्रार्थना पत्र राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का दिनांक 9.11.2022 को पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर समरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:10:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

ट्रायल कर 90 दिवस में निस्तारण करने के लिए माननीय राजस्व मंडल अजमेर के दिशा निर्देशों की पालना में तारीख पेशी दी जा रही है ताकि प्रकरण का समय पर नियमानुसार निस्तारण किया जा सके। प्रार्थी एवं अप्रार्थी व उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में वाद पत्र/प्रार्थना पत्रों की वस्तुस्थिति अनुसार एवं अन्य समरी ट्रायल प्रार्थना पत्रों में भी यही प्रकिया अपनाई जा रही है। विधि अनुसार न्यायिक प्रक्रिया की पालना की जा रही है। संबंधित पक्षकारान को सूचित कर शॉर्ट डेट दी जाती है तो इससे त्वरित न्याय के सिद्धान्त की पालना हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में अनावश्यक विलंब करने के लिए एवं प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जावे इसलिए प्रार्थीगण द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। फिर भी प्रकरण को अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय से दीगर न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है।

7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.6.2025 का अवलोकन किया। जो कि प्रार्थी की मुख्य दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त वाद के निस्तारण करने पर आमामदा है। अधीनस्थ न्सयायालय द्वारा अपने निर्णय में यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा ट्रांस्फर एप्लीकेशन की छाया प्रति पेश की गई जिसे यह इस तथ्य की पुष्टि नहीं है कि यह प्रार्थना पत्र माननीय जिला कलक्टर महोदय के पेश किया गया है, ना ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह स्पष्ट है जिससे अधीनस्थ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रश्नगत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। जिस कारण उनके द्वारा जो अग्रिम कार्यवाही नहीं करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसे खारिज कर दिया गया था।

9. हमारे समक्ष यह भी तथ्य मौजूद है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई। अतः जब उनके ध्यान में आया कि स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तब उनके द्वारा समस्त अग्रिम कार्यवाही को रोक दिया गया।

10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र को समरी ट्रायल के रूप में 90 दिवस में निस्तारण करना होता है। यह पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 9.11.2022 से लंबित है।

11. हमारे समक्ष यह भी तथ्य मौजूद है कि यह तृतीय स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र इस वाद में लगाया गया है एवं तीनों ही अलग–2 पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध लगाये गये है।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण में विचाराधीन प्रकरण उनवानी अनिकेत बनाम गंगाधर वगै0 प्रकरण संख्या 01/2022 को दीगर उप जिला कलक्टर को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:10:03 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18 अगस्त, 20[illegible] को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय [illegible] निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा